**प्रेस विज्ञप्ति**
**21.08.2026**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नागपुर उप-आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दिनांक 18.08.2026 को नागपुर, गोंदिया और अहमदाबाद में स्थित 12 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। ये परिसर आरोपी अनंत नवरत्न जैन उर्फ सोन्टू जैन और उसके सहयोगियों से जुड़े हुए हैं। यह कार्रवाई हेरफेर किए गए गेमिंग प्लेटफॉर्मों, जिनमें डायमंड एक्सचेंज डॉट कॉम, वोल्फ 777 डॉट कॉम, वर्ल्ड 777 डॉट कॉम और अन्य शामिल हैं, से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी धोखाधड़ी के संबंध में चल रही धन शोधन जांच के सिलसिले में की गई।

ईडी ने नागपुर शहर के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अनंत नवरत्न जैन उर्फ सोन्टू जैन और अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

पीएमएलए के तहत की गई जांच से पता चला है कि अनंत नवरत्न जैन उर्फ सोन्टू जैन ने शिकायतकर्ता को कम अवधि में अधिक रिटर्न का प्रलोभन देकर ऑनलाइन गेमिंग में बड़ी रकम निवेश करने के लिए प्रेरित किया। शिकायतकर्ता को डायमंड एक्सचेंज, इंडियन एक्सचेंज, लोटसबुक और वर्ल्ड 777 सहित अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्मों के लिंक उपलब्ध कराए गए और बार-बार नुकसान होने के बावजूद उसे लगातार और अधिक धनराशि जमा करने के लिए प्रेरित किया गया। गेमिंग प्लेटफॉर्मों में इस प्रकार हेरफेर की गई थी कि जब भी शिकायतकर्ता जीतने की स्थिति में पहुंचता था, तकनीकी त्रुटियां अथवा गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती थीं, जिससे वह अपनी जीत की राशि प्राप्त नहीं कर पाता था। इस प्रकार की कथित धोखाधड़ी और हेरफेर वाली गतिविधियों के माध्यम से शिकायतकर्ता से लगभग **58.42 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी** की गई।

जांच में आगे पता चला है कि ऐसी अवैध गेमिंग गतिविधियों से अर्जित धनराशि को कई माध्यमों से एकत्र किया जाता था। शिकायतकर्ता को निर्देश दिया गया था कि वह निर्धारित कूरियरों के माध्यम से नकद अथवा पहचान और मिलान के लिए हवाला-शैली के "टोकन" करेंसी नोटों का उपयोग करके या सोन्टू जैन द्वारा नामित निर्धारित "एजेंट खातों" में बैंक हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान करे। विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम पर संचालित ऐसे कई म्यूल बैंक खातों का उपयोग आरोपियों और उनके सहयोगियों द्वारा अपराध से अर्जित आय को प्राप्त करने, **लेयरिंग** करने और धन शोधन के लिए किया जाता था। ऐसे म्यूल बैंक खातों के विश्लेषण से कई करोड़ रुपये के बड़े पैमाने पर लेनदेन का पता चला, जिनमें से या तो नकद निकासी की गई या फर्जी आयात भुगतानों के लिए भारत से बाहर भेजा गया।

दिनांक 18.08.2026 को की गई तलाशी के दौरान ईडी ने **30.30 लाख रुपये की नकदी** जब्त की तथा 100 से अधिक बैंक खातों, म्यूचुअल फंड और शेयरों को फ्रीज किया, जिनका कुल मूल्य/शेष लगभग **5 करोड़ रुपये** है। इसके अलावा, 2 बैंक लॉकर और लगभग **1.70 करोड़ रुपये मूल्य के 3 लग्जरी वाहन** भी फ्रीज किए गए। अवैध गेमिंग गतिविधियों और वित्तीय लेनदेन से संबंधित संभावित डिजिटल साक्ष्य वाले 11 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप भी जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, लगभग **16.50 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज** भी जब्त किए गए। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण वित्तीय और डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित किए गए हैं तथा अवैध ऑनलाइन गेमिंग संचालन से उत्पन्न अपराध से अर्जित आय के कथित सृजन, छिपाने, कब्जे, **लेयरिंग** और उपयोग से संबंधित जांच को आगे बढ़ाने में सहायता मिली है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।